



सर्वोत्तम प्रमाणित

विद्युत वृत्त

आफिस काम्पलेक्स, (प्रथम तल)
सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ
E-mail: upavpelect@gmail.com



पत्र सं०-

(2) / 176 EDN / 02

दिनांक- 16-2-20

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु निर्माता फर्म ओटिस/ओटिस द्वारा अधिकृत फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है जो कि सिंगल बिड प्रणाली के अन्तर्गत ई-प्रोक्योरमेन्ट सोल्यूशन प्रणाली द्वारा खोली जायेंगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु०लाख में)	टेण्डर प्रोसेसिंग फीस (रु०में)	धरोहर धनराशि (रु०में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-निविदा डाउनलोड करने की तिथि	निविदा खुलने की तिथि व समय	सम्बन्धित खण्ड का नाम/वृत्त का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-7 में निर्मित गंगा, यमुना एवं हिण्डन अपार्टमेन्ट में 10 नग लिफ्टों (ओटिस मेक) के क्रियाशील करने सम्बन्धित कार्य।	रु.35.00 लाख	1500.00 +18% GST Extra	0.70 लाख	03 माह	20.02.2026	05.03.2026 11:00 AM	विद्युत खण्ड-2, गाजियाबाद / विद्युत वृत्त, लखनऊ।

नियम एवं शर्त :-

- निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.upavp.com के निविदा लिंक पर उ0प्र0 इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वह नियमित रूप से उक्त वेबसाईट पर देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाईन निविदा डाली जा सकती है।

प्रकाशनार्थ नहीं :-

- निविदा प्रपत्र का उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य व वांछित धरोहर धनराशि का भुगतान केवल RTGS के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-2, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद के पक्ष में विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक किया जा सकता है। उपरोक्त की स्वैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

Detail of RTGS :-

Name of Holde:- Executive Engineer, ED-2, UPAVP, Vasundhara, Ghaziabad.

Name of Bank :- Indian Bank, Sec-15, Vasundhara, Awas Vikas Ghaziabad.

Account No :- 7766936561

IFSC Code No:- IDIB000V515

- निविदा दाता द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर धनराशि फर्म खाते से अथवा फर्म के प्रोपराइटर के खाते से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्राप्त होने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा।
- निर्धारित तिथि के बाद धरोहर धनराशि का भुगतान किया जाना मान्य नहीं होगा।
- निविदा दाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन से पूर्व कार्य की लागत का 10% (दस प्रतिशत) सिक्योरिटी धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-2, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद के पक्ष में बन्धक हो, को निविदा स्वीकृति प्रपत्र निर्गत होने के 07 दिन के भीतर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा धरोहर धनराशि जब करते हुए फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- फर्म की दरें निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित दरों से 10 प्रतिशत तक कम होने तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम होने पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉर्मेंस गारंटी उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08 जून 2012 एवं तदक्रम में मुख्य अभियन्ता(म0) के पत्रांक-4196/निविदा/2018 दिनांक 14.09.2018 के अनुसार निविदा खुलने के एक सप्ताह के अन्दर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-2, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद के पक्ष में बन्धक हो, जमा करने के पश्चात् ही निविदा स्वीकृति की जायेगी।

क्रमशः...../ /2/ /

6. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध के निष्पादन हेतु रू0 100.00 मूल्य का नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा। यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/शासन द्वारा स्टाम्प पेपर के मूल्य के सम्बन्ध में अन्य कोई आदेश पारित होते हैं तो तदनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध के समय रू0 10.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
7. चूँकि प्रश्नगत कार्य अतिआवश्यक/समयबद्ध है, को प्रत्येक दशा में कार्यों के सम्मुख इंगित अवधि में ही पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। कार्य की प्रगति निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होनी चाहिए प्रगति का आँकलन प्रत्येक 15 दिनों पर किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले 15 दिनों के अन्त तक निर्धारित क्यूम्यूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध में निहित शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। उक्त हेतु निविदा दाता को रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में निविदा पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
8. मुख्य अभियन्ता(म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कार्यालय आदेश संख्या-2018/ई-31/2020 दिनांक 29.06.2021 के माध्यम से दिये गये निर्देशानुसार "निविदा स्वीकृति के उपरान्त फर्म द्वारा अनुबन्ध गठन सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की दशा में फर्म की जमा धरोहर धनराशि के साथ-साथ बी0ओ0क्यू0 से बिलो दरों पर ली जाने वाली अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफार्मेंन्स गारण्टी भी जब्त कर ली जायेगी।
9. प्रश्नगत कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, उ0प्र0 फायर सर्विस तथा सी0पी0डब्ल्यू0डी0 नोर्म्स की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
10. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के निरीक्षण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों से कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। उक्त में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही कोई समयवृद्धि दिया जाना सम्भव होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा और न ही इस मद में कोई भुगतान फर्म को किया जायेगा।
11. ठेकेदारों/श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में होना अनिवार्य है।
12. कार्य की मात्रा घट-बढ़ सकती है जिसके लिए निविदा दाता का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
13. निविदादाता द्वारा दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदा दाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा। यदि दस्तावेजों के फर्जी या गलत होने की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
14. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूम्यूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध में निहित शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. निविदादाता को GST विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
16. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया, गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधियों में लिप्त है, तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिससे किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
17. बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
18. सक्षम अधिकारी को निविदा बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
19. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
20. निविदादाता फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें। उक्त निविदा में उल्लिखित कार्य के सम्मुख अंकित अवधि में किसी भी प्रकार की समयवृद्धि मान्य नहीं होगी।
21. ठेकेदार/फर्म द्वारा धरोहर धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में जमा करनी होगी, अन्यथा पर विचार नहीं किया जायेगा।
22. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर (Below) मानी जायेगी।
23. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
24. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
25. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-19 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
26. निविदा खुलने की तिथि को यदि कोई अवकाश पड़ता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर खोली जायेगी।

क्रमशः.....//3//

27. निर्माता कम्पनी ओटिस(OTIS)/ओटिस (OTIS) द्वारा अधिकृत फर्म निविदा में प्रतिभाग हेतु मान्य होगी।
28. Experience of having successfully completed similar works during last 7 years ending last day of month previous to the one in which applications are invited should be either of the following:-
- Three similar completed works costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost.
- or
- Two similar completed works costing not less than the amount equal to 50% of the estimated cost.
- or
- One similar completed works costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost.
29. भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के पैरा 14(3) के अनुसार यदि कब्जा सौंपे जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर आवंटिती द्वारा, ऐसे विकास से सम्बन्धित किसी संरचनात्मक त्रुटि या सेवाओं के कर्मकौशल, क्वालिटी या उपबन्ध या सम्प्रवर्तक की किन्हीं अन्य बाध्यताओं की ओर सम्प्रवर्तक का ध्यान दिलाया जाता है तो सम्प्रवर्तक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी त्रुटियों को बिना किन्हीं अतिरिक्त प्रभारों के तीस दिन के भीतर दूर कराए और सम्प्रवर्तक द्वारा ऐसी त्रुटियों को ऐसे समय के भीतर दूर करने में असफल रहने की दशा में व्यथित आवंटिती वह समुचित प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित हो। अतः निवदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी। यदि रेरा या अन्य किसी विभाग द्वारा कोई पेनाल्टी इम्पोज्ड की जाती है तो उसकी कटौती फर्म के बीजक से करके रेरा अथवा सम्बन्धित विभाग को प्रेषित की जायेगी जिसके लिए फर्म को कोई विधिक क्लेम मान्य नहीं होगा।
30. कोई भी निविदादाता जो उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज न हो, द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकता है।

(सी0पी0 सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता(वि0/यॉ0)

पृ0सं0:-

125 / उक्त / 02

दिनांक

16-2-26

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता(म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गान्धी मार्ग, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत खण्ड-2, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत खण्ड-प्रथम/तृतीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/कानपुर।
- इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गान्धी मार्ग, लखनऊ को उक्त निविदा सूचना परिषद वेबसाइट एवं एन0आई0सी0 की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर प्रकाशित कराये।
- नोटिस बोर्ड, विद्युत खण्ड-2, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।

अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यॉ0)